FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

प्रारूप अधिकरण औरंगाबाद

लक्ष्मीनारायण तिवारी बनाम अतीक पार्क प्रा. लिमिटेड

130, 136 ई. 185 सन् 2019

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	फर्दर के तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19	लक्ष्मीनारायण तिवारी के पत्र क्रमांक 2261 दिनांक 19/8/2019 द्वारा आवश्यक कार्यवाही का निपटारा हेतु प्राप्त तिवारी लक्ष्मीनारायण तिवारी द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो दर्ज अभिलेख किया जावे। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार लिखमेंदिया पत्र में लक्ष्मीनारायण तिवारी पटवारी तिवारी, I.L.R. तिवारी की रिपोर्ट प्राप्त हुई। साथ ही अतीक पार्क प्रा. लिमिटेड के प्रश्न क्रमांक 731 दिनांक 26/10/2018 के आवेदन के लिये अवश्य चौबिल लिया जाता है तो एक नोटिस जारी नहीं है इस सम्बन्ध में हुक्मनामे प्रमाण पत्र / अहकामी पत्र पेश किया है। मूल: राजस्व ग्रुप 6 की धारा 9 दिनांक 10/8/16 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही का निपटारा की अन्तर्गत प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। आदेश कारण के आधार लिया गया। आदेश की पालना हेतु लक्ष्मीनारायण तिवारी को जारी है। उपरोक्त [illegible] होकर [illegible] जरूरत की [illegible] है।	

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, औरंगाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:30:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner